



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

लेन नं0 3, भवन संख्या-23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून।

E-mail: ukmssbdun@gmail.com Website: www.ukmssb.org, Phone:0135-2665366

पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 06 / 2024-25 / 538

दिनांक: 06 जुलाई, 2026

चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) परीक्षा-2026

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त 47 पदों हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) के उपरान्त सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 06 / 2024-25 / 294, दिनांक: 09 अप्रैल 2026 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त 47 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

02- उक्त के क्रम में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है जिन्होंने विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या श्रेणी-उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं या वैध नहीं है या वांछित अभिलेख ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराये हैं।

03- बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार जारी अभ्यर्थियों की सूची के सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अर्हता/अभ्युक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप में देना चाहते हैं तो अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में मात्र ई-मेल ukmssbexam@gmail.com पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी माध्यम से निर्धारित प्रारूप के साथ स्वप्रमाणित साक्ष्य संलग्न कर **दिनांक 06 जुलाई 2026 (सोमवार) से 10 जुलाई 2026 (शुक्रवार) सांय 05.00 बजे तक** प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अंतिम अवसर है, उक्त के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

04- उक्त आपत्तियां अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर जारी की जा रही है। परीक्षा के किसी भी चरण में अभिलेखों के मूल से मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों की वैधता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **05 मई, 2026** से पूर्व के निर्गत होने चाहिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से बाद के जारी प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकरण पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्नक-

1. परिशिष्ट क- प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप।
2. परिशिष्ट ख- अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
1.	4150100050	अभ्यर्थी द्वारा मात्र एम0बी0बी0एस0 प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। अन्य वांछित यथा हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 अंकतालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न कर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
2.	4150100103	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी स्वयं पूर्व सैनिक नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा उनके पिता के पूर्व सैनिक होने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये गये है। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
3.	4150100124	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र तथा एम0बी0बी0एस0 अंकतालिका अपलोड/संलग्न नहीं की गई है।
4.	4150100179	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 88886 दिनांक 20 मई 2020 का उल्लेख किया गया है, परन्तु आवेदन पत्र के साथ उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल प्रजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 88886 दिनांक 20 मई 2020 संलग्न किया गया है। चूंकि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्टतया उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। " अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
5.	4150100195	अभ्यर्थी द्वारा विदेश से ग्रेजुएशन करने के उपरान्त एफ0एम0जी0ई0 उत्तीर्ण सार्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया है।
6.	4150100312	अभ्यर्थी डिप्लोमा इन फार्मसी शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी डी0फार्मा0 के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
7.	4150100324	अभ्यर्थी द्वारा मात्र उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। अन्य वांछित यथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 अंकतालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न कर अपलोड नहीं किये गये हैं।
8.	4150100347	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण की वैधता के सम्बन्ध में साक्ष्य संलग्न/अपलोड नहीं किये गये है।
9.	4150100402	अभ्यर्थी हैल्थ वर्कर तथा बी0ए0 शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी हैल्थ वर्कर तथा बी0ए0 के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
10.	4150100431	अभ्यर्थी हैलथ वर्कर शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी हैलथ वर्कर के सलग्न/अपलोड किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
11.	4150100446	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण नहीं भरा गया है। साथ ही वांछित दस्तावेज सलग्न/अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
12.	4150100484	अभ्यर्थी हरियाणा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
13.	4150100511	अभ्यर्थी द्वारा समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न/अपलोड नहीं किये गये हैं।
14.	4150100599	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी स्वयं पूर्व सैनिक नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा उनके पिता के पूर्व सैनिक होने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
15.	4150100621	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
16.	4150100655	अभ्यर्थी द्वारा समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न/अपलोड नहीं किये गये हैं।
17.	4150100676	अभ्यर्थी द्वारा एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है।
18.	4150100722	अभ्यर्थी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
19.	4150100760	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र श्री विनोद कुमार नाम से किया गया है परन्तु आवेदन पत्र के साथ सलग्न/अपलोड दस्तावेज साधना नाम से किये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं से सम्बन्धित वांछित दस्तावेज संलग्न/अपलोड नहीं किये गये हैं।

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
20.	4150100788	अभ्यर्थी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
21.	4150100900	अभ्यर्थी हरियाणा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
22.	4150100925	अभ्यर्थी द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
23.	4150100935	अभ्यर्थी हैलथ वर्कर शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी हैलथ वर्कर के संलग्न/अपलोड किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
24.	4150100948	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है।
25.	4150100975	अभ्यर्थी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
26.	4150101007	अभ्यर्थी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण
27.	4150101032	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है अपितु राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकरण किये जाने की रसीद संलग्न की गई है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्टतया उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड पंजीकरण आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
28.	4150101036	अभ्यर्थी डिप्लोमा इन फार्मसी शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी डी0फार्मा0 के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।